पत्रांक 1/अनु0-1041/2014 सा0 प्र0 336

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार

प्रधान सचिव

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक 07 /जनवरी 2015

विषय :- मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) के पत्रांक- 8204 दिनांक- 19.06.1991, पत्रांक-11852 दिनांक 24.08.2012, पत्रांक-3386 दिनांक- 26.02.2013 तथा पत्रांक- 9182 दिनांक-13.06.2013, का संदर्भ किया जाय। इनके माध्यम से जिला पदाधिकारियों को विभिन्न उद्देश्यों से मुख्यालय छोड़ने के संबंध में अनुदेश निर्गत हैं।

2. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जिला पदाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जाती है। संबंधित प्रयोजन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जाती है। माननीय पटना उच्च न्यायालय अथवा विधानमंडलीय कार्य एवं ऐसे अन्य कार्यों के निमित्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था से पत्राचार बढ़ने के साथ-साथ कार्यबोझ बढ़ता है और याचित अनुमति की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लम्बी हो जाती है फलस्वरूप, प्रायः आलोच्य अनुमति ससमय संसूचित नहीं हो पाती है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित प्रावधान/अनुदेश को संशोधित करते हुए निम्नांकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं :-

(क) (i) जिला पदाधिकारियों को निजी कार्यवश राज्य के अंदर भ्रमण/ यात्रा हेतु आकस्मिक तथा प्रतिबंधित अवकाश/ सार्वजनिक राजपत्रित एवं रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति/ स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जायेगी।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय/विधानमंडलीय सत्रों में उपस्थिति एवं माननीय मुख्यमंत्री/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त और विभिन्न विभागों द्वारा आहूत राज्यस्तरीय बैठकों तथा सरकारी कार्य/ प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त ही प्रदान करेंगे।

(iii) संबंधित आदेशों में यह निश्चित रूप से अंकित रहेगा कि जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति की अवधि में उनके पद के दैनिक प्रभार में कौन पदाधिकारी रहेंगे। प्रमंडलीय